न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—141/2021/225 आर.टी.एक्ट (2021/141)

1. गिरधारी दत्तक पुत्र स्व0 श्री रामचंद्र उम्र करीबन 38 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम डीडवाडा तहसील किशनगढ, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र स्व0 श्री सुखदेव
2. काना पुत्र स्व0 श्री सुखदेव
3. श्रवण पुत्र स्व0 श्री सुखदेव
   सर्व जाति जाट सर्व निवासी ग्राम डिंडवाडा तहसील किशनगढ जिला अजमेर।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार किशनगढ़ जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय दिनांक 15.04.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ राजस्व वाद संख्या 175/2020.

उपस्थितः—

1. श्री उमेश कुमार, रामदेव गुर्जर अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री एस0पी0औझा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1, 2.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 04.
4. रेस्पोडेंट संख्या 3 अनुपस्थित.

निर्णय

दिनांकः—31.01.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के द्वारा प्रकरण संख्या 175/2020 में पारित आदेश दिनांक 15.04.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ जिला अजमेर में एक वाद संख्या 175/2020 रामेश्वर व अन्य बनाम गिरधारी वगैराह का 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने वाद के साथ में धारा 212 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा अपने वाद

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

व धारा 212 के प्रार्थना पत्र में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निवेदन किया। पत्रावली में वर्णित विवादित आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजी है जिसमें रेस्पोडेंटस संख्या 1 व 2 द्वारा विभाजन का वाद प्रस्तुत कर न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर लिया परंतु अपीलांट द्वारा उपरोक्त आराजीयात में से आराजी खसरा नम्बर 898 व 899 कुल किता 2 कुल रकबा 22 बीघा 06 बिस्वा भूमि में से मुझ अपीलांट का 1/2 हिस्सा अधिकार अभिलेख में दर्ज था जो अपीलांट द्वारा श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री हनुमान व श्रीमती सुरमा पत्नी श्री जगदीश सर्व जाति जाट सर्व निवासी ग्राम डिंडवाडा तहसील किशनगढ को दिनांक 7.9.2020 को बैचार कर दी गई जो वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही कर दी गई थी। अधीनस्थ न्यायालय की जानकारी में आ गई थी एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने वाद पत्र में भी उक्त बैचान बाबत कथन किए गए है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजों का अवलोकन सम्पूर्ण जानकारी होने के बावजूद भी आदेश दिनांक 15.4.2021 को पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के द्वारा प्रकरण संख्या 175/2020 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 3 बावजूद सूचना के भी उपस्थित नहीं हुए।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि उपरोक्त आदेश की जानकारी अपीलांट को दिनांक 16.4.2021 को हुई तो अपीलांट द्वारा अपीलाधी आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए 16.4.2021 को आवेदन किया जिसकी प्रमाणित प्रति दिनांक 19.4.2021 को प्राप्त हुई परंतु सम्पूर्ण देश में वैश्विक महामारी के चलते लॉकडाउन होने के कारण न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने में देरी हुई है परंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि कोरोना महामारी के चलते मियाद के प्रश्न को क्षम्य किया जाएगा फिर भी विधिक आक्षेपों व विवादों से बचने के लिए धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र अपील के साथ संलग्न है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस में कथन किया कि वर्णित आराजीयात में से खसरा नम्बर 898 व 899 में से अपीलांट द्वारा वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुती से पूर्व ही बैचान कर दिया गया है तो ना तो वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा जो क्रेतागण आवश्यक पक्षकार है उनको आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत पक्षकार नहीं बनाया गया एव ना ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया एवं विधि का प्रतिपादित सिद्धांत है कि ऐसे कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रकट होते है कि आवश्यक पक्षकार वाद या प्रकरण में पक्षकार कायम नहीं है तो न्यायालय अपनी स्वप्रेरणा से आवश्यक पक्षकार को पक्षकार कायम कर सकती है अथवा वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के पेश करने पर पक्षकार संयोजित किया जा सकता था परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में केवल मात्र प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अर्थात अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 3 को अपीलाधीन आदेश से

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

पाबंद किया गया है एवं वादीगण अर्थात रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 को उक्त वर्णित आराजीयात बाबत खुली छुट देकर एक विसंगतिग्रस्त अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश में केवल मात्र प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 6 व 8 में वर्णित आराजीयात खसरा नम्बर 899 रकबा 21–19–00 में से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अर्थात अपीलांट के निहित हिस्से का बैचान नहीं करने एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु केवल मात्र अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 3 को पाबंद किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात पर आदेश पारित करना चाहिए था अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य स्पष्ट हो चुके थे कि उक्त खसरा नम्बर 899 की भूमि से अपीलांट द्वारा अपना 1/2 हिस्सा वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही बैचान कर दिया गया है फिर भी सम्पूर्ण तथ्यों का स्पटीकरण/जानकारी होते हुए भी अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सम्पूर्ण आराजीयात बाबत विभाजन का वाद प्रस्तुत करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत निवेदन किया है परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र खसरा नम्बर 899 में आदेश पारित किया गया है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि जहां पारिवारिक विभाजन का प्रश्न या प्रकरण हो तो अधीनस्थ न्यायालय को दोनो पक्षों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना चाहिए। परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण अर्थात रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 को खुली छुट देते हुए केवल मात्र अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 3 का अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया है केवल उसी खसरा नम्बर बाबत जो वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने से पूर्व ही बैचान की जा चुकी है। उक्त अपीलाधीन आदेश से अपीलांट अपनी आराजी में सरकारी व गैरसरकारी अर्थात राज्य सरकार व भारत सरकार द्वारा चलित किसानों को लाभांवित योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हो रहा है। अपीलांट अपने हिस्से की आराजी में लॉन/रहन लेने बाबत प्रयासरत है परंतु अपीलाधीन आदेश पारित होने से ग्रसित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड का पूर्ण तौर से अवलोकन न करके रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा मिलिभगत करके अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिससे अपीलांट के साम्पतिक एवं स्वत्व अधिकार समाप्त हो रहे है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 175/2020 में पारित आदेश दिनांक 15.04.2021 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के जवाब/बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की अपीलांट को शुरू से जानकारी थी अपीलांट ने जानबूझ कर मियाद बाहर अपील पेश की है अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट का धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि वाद पत्र में वर्णित वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी अविभाजित भूमि है। उपरोक्त भूमि हमारे पूर्वज रोड़ा व उसके भाई मेदू की संयुक्त खातेदारी की आराजी चली आ रही थी। जिनकी मृत्यु के बाद उपरोक्त वर्णित

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

आराजीयात उनके पुत्र सुखदेव, रामचंद्र वल्द रोड़ा तथा नारायण, माती वल्द मेदू के नाम पर आई। वादगस्त आराजीयात का विभाजन सुखदेव की मृत्यु के बाद उसके पुत्रगण यथा रामेश्वर, श्रवण, काना व उसकी पत्नी पांची(फौत) के नाम सुखदेव का हिस्सा राजस्व इंद्राजों में विधिवत आया तथा रामचंद्र की मृत्यु के बाद उसका हिस्सा उसकी बेवा फौत बरजी के नाम आया जो उसके बाद बरजी व रामचंद्र के दत्तक पुत्र गिरधारी के नाम राजस्व इंद्राजों में दर्ज है। रोड़ा व मेदू एक ही परिवार के हैं और वाद पत्र में अंकित तालिका में वर्णित खसरा नम्बरान उनके वारिसों में उनके हिस्से तक विभाजित है। वादीगण ने जब मौखिक जानकारी चाही कि बिना भाई बंटवारे के पैतृक सम्पत्ति को गलत व नाजायज तौर पर आगे कैसे बैचान कर रहे हैं, इस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी को धमकी दी की यह समस्त आराजी हमारी है और हम इसे बैचान कर सकते हैं। वादकारण दिनांक 31.08.2020 को अप्रार्थी संख्या 01, 02 द्वारा प्रार्थीगण को वादअधीन कृषि भूमि का विधिक रूप से बंटवारा कराये जाने से इन्कार करने पर तथा प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग मे बाधा कारित करने पर तथा प्रार्थीगण को एलानिया धमकी देने पर ग्राम डीडवाडा तहसील किशनगढ़ में उत्पन्न हुआ जो दिन प्रतिदिन जारी है। प्रार्थीगण सहखातेदार काश्तकार है तथा काबिजानुसार हिस्सेनुसार अपने–अपने हिस्से पर काबिज है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के कब्जे उपयोग–उपभोग में बाधा कारित किए जाने व मूल वाद के निस्तारण से पूर्व वाद अधीन आराजी के हस्तांतरण, बैचान आदि किए जाने की स्थिति में वाद बाहुल्यता उत्पन्न होगी व अप्रार्थीगण के वैधानिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनो बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होने से अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम डींडवाना स्थित विवादित आराजी में अप्रार्थी संख्या 1 व 02 के निहित हिस्से का बैंचान नहीं करने एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 को मूल वाद के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया है। यदि मान्नीय न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त किया जाता है तो अपीलांट विवादित आराजी को बेचान करे देगें जिससे प्रथम दृष्टया अपूरणीय क्षति रेस्पोडेन्टस को ही होगी तथा साथ ही वाद की बाहुल्यता बढ़ेगी । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः न्यायालय से अनुरोध है, कि अपील अपीलांटस को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 में किए गए कथन सदभाविक प्रतीत होते हैं। अतः न्यायहित में प्रार्थी का धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना उचित समझते हैं।

9. हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि वर्णित आराजीयात में से खसरा नम्बर 898 व 899 मेंसे अपीलांट द्वारा वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुती से पूर्व ही बैचान कर दिया गया था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद पत्र व प्रार्थना पत्र में क्रेतागण को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया, जबकि विधि का प्रतिपादित सिद्धान्त है कि "ऐसे कोई तथ्य न्यायालय के

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

समक्ष प्रकट होते है कि आवश्यक पक्षकार, वाद या प्रकरण में पक्षकार कायम नहीं है तो न्यायालय अपनी स्वप्रेरणा से आवश्यक पक्षकार को पक्षकार कायम कर सकती है अथवा वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के पेश करने पक्षकार संयोजित किया जा सकता था। द्वितीय यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में केवल मात्र प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 01 व 02 अर्थात अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 03 को पाबंद किया गया है एवं वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 को उक्त वर्णित आराजीयात बाबत् पाबंद नहीं किया गया है तथा केवल खसरा नम्बर 899 बाबत् ही आदेश पारित किये है, जो प्राकृतिक सिद्धान्तो एवं विधि सम्मत नहीं है। जहॉ पारिवारिक विभाजन का प्रश्न या प्रकरण हो तो अधीनस्थ न्यायालय को उभयपक्ष को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश को उपरोक्त विवेचनानुसार निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि वे प्रकरण में विवादित आराजी के क्रेतागत को पक्षकार संयोजित कर, उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा को तीनो बिन्दुओ क्रमशः प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति पर विस्तृत विवेचन करते हुए पुनः निर्णय पारित किया जावे।

10. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ कें द्वारा प्रकरण संख्या 175/2020 में पारित आदेश दिनांक 15.04.2021 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में विवादित आराजी के क्रेतागत को पक्षकार संयोजित कर, उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा को तीनो बिन्दुओ क्रमशः प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति पर विस्तृत विवेचन करते हुए पुनः निर्णय पारित करें, तब तक उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम में अंकित विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 31.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर